

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44164 / 2025

बाल कुमार पटेल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: गिरजा शंकर प्रजापति

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति, अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गिरजा शंकर प्रजापति तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अजय कुमार सिंह को सुना तथा प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत आवेदक बाल कुमार पटेल की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रकरण अपराध संख्या 620 सन् 2025, धारा 8/22 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, थाना मेजा, जनपद प्रयागराज के अंतर्गत जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि आवेदक के कब्जे से 118 ग्राम अल्फ्राजोलम की बरामदगी दर्शाई गई है, जो वाणिज्यिक मात्रा से थोड़ा अधिक है। वास्तव में, आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, जिससे झूठे फँसाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आगे यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का कठोरता से पालन नहीं किया गया है। यह भी कहा गया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न एवं प्रताड़ना के उद्देश्य से इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आवेदक 18.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यह भी आश्वासन दिया गया कि जमानत मिलने पर वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि विचारण-पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, और चूँकि वह मादक पदार्थों की आपूर्ति में संलिप्त है, इसलिए उसे कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि जमानत मिलने पर वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है।

मामले के तथ्यों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में संभावित दंड की गंभीरता, अभियुक्त के चरित्र, उससे संबंधित विशेष परिस्थितियाँ, विचारण में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने की संभावना, साक्षियों के प्रभावित होने की आशंका तथा जनहित/राज्यहित को ध्यान में रखते हुए, किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, न्यायालय यह मानता है कि यह जमानत दिए जाने का उपयुक्त मामला है।

अतः जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि आवेदक **बाल कुमार पटेल** को उपर्युक्त प्रकरण अपराध में, न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक विवेचना अथवा विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साक्षियों को धमकाने/प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा। जमानत बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास का सत्यापन किया जाएगा।

(श्री अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 12 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश